संख्या-44/132/एक-1-2014-5(77)/2012

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2014

विषय:- प्रयागराज पावर जनरेशन क0 लि0 द्वारा बारा थर्मल पॉवर प्लान्ट को भूमिगत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति एवं कोयला आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (3) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई भूमि के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4078/डीएलआरसी, दिनॉक 02-01-2014 तथा पत्र संख्या-4166/डीएलआरसी, दिनॉक 21-01-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रयागराज पावर जनरेशन क0 लि0 द्वारा बारा थर्मल पॉवर प्लान्ट को भूमिगत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति एवं कोयला आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (3) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई कुल भूमि 9.0334 हे0 के विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) बारा थर्मल पॉवर प्लान्ट को भूमिगत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति एवं कोयला आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन के निर्माण हेतु नियत सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि हेतु जुर्माने के रूप में भूमि की लागत के 25 प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क के के लिये अवधारित धनराशि जमा की जायेगी।

(2) बारा थर्मल पॉवर प्लान्ट को भूमिगत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति एवं कोयला आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन के निर्माण हेतु संस्था द्वारा उतनी ही भूमि की अनुमति अनुमन्य होगी जो उसके लिये आवश्यक हो। आवश्यकता का निर्धारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा अन्य संगत शासनादेशों/ नियमों के अधीन की जायेगी।

(4) बारा थर्मल पॉवर प्लान्ट को भूमिगत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति एवं कोयला आपूर्ति हेतु

shashadesh.up.nic.in

-2-

रेलवे लाइन के निर्माण हेतु क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा जिसके लिये भूमि क्रय की गई है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

(6) क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी।

(7) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(8) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में राजस्व विभाग की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं करेगा।

(9) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 12.50 एकड़ से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(10) भूमिगत पाइप लाइन एवं कोयला आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन के लिये ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि अनुमन्य होगी।

(11) जिलाधिकारी, इलाहाबाद उपर्युक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

जय प्रकाश सगर
विशेष सचिव।

संख्या-132(1)/एक-1-2014-5(77)/2012 तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

shasnadesh.up.nic.in

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

shasnadesh.up.nic.in